न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी- 4027/2018/ सीधी/भू.रा

प्रकरण क्रमांक /२०१८ निगरानी

भगवानदास पुत्र ईशारदीन गुप्ता,
निवासी - ग्राम- अमलिया तेहसील सिहावल,
जिला सीधी -मध्यप्रदेश ।

-------- प्रार्थी

श्री .... द्वारा आज दि० 26.6.18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10.7.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 26.6.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

१- मुस० सुशीला पत्नी मानिकचंद गुप्ता,
२- सुरेश कुमार |
३- संतोष कुमार | पुत्रगण मानिक चंद गुप्ता
४- हरीश चन्द पुत्र नारायण दास गुप्ता,
सभी निवासीगण - ग्राम अमलिया, तेहसील-सिहावल
जिला सीधी -मध्यप्रदेश ।

------- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध आदेश तेहसीलदार महोदय तेहसील सिंहावल जिला-सीधी दिनांक १६-०६-१८, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १६५६। प्र०क्र० ४५-अ- २७(२)/१७-१८ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, तेहसीलदार महोदय ने विवादित आदेश पारित करते समय अपने न्यायिक विवेक का सही उपयोग नहीं किया है ।

४- यह कि, विवादित भूमि के सम्बन्ध में गतिशील बटवारे के प्रकरण मे

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(37)

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/4027/18/सीधी/भूरा, भगवान/सुशीला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
08/01/19	आवेदक की ओर से श्री एस. के. अवस्थी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तह.- सिहावल के प्रकरण क्रमांक 84/अ.27(2)/17-18 में पारित आदेश दिनांक 19/06/18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 23/04/19 को कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	